तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 45/2024 मअनवान पुरखाराम बनाम सवाईराम वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 16.10.2024

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस के पक्ष में अपीलाधीन आराजी का बेचान हो रखा है। उपरोक्त भूमि विक्रय करते समय उतरदाता संख्या 02 ने वाद व आवेदन का विचाराधीन होने का अपीलांट को नहीं बताया और विक्रय पत्र में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने का अंकित करवाया तथा विक्रय पत्र में यह भी अंकित करवाया है कि किसी भी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तब अपीलांट से सदभावना से भूमि खरीद की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–RRT 2005(2) Page 1465

अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रजिस्टर्ड बेचान से क्रेता खातेदार है इसलिए न्यायहित में अपीलांटस का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलांटस के पक्ष में अलाणियों की ढाणी पटवार हल्का बान्दरा के खसरा संख्या 806 रकबा 0.4856 हैक्टयर व खसरा संख्या 963/807 रकबा 3.8688 हैक्टयर (रकबा 23.18 बीघा) भूमि में से 06 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 09.05.2024 को हो रखा है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व आवेदन संख्या 79/2022 बअनवान सवाई बनाम लालाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 को संशोधित करते हुए अपीलांटस पुरखाराम के पक्ष में हो रखे बेचान के अनुसार नियमानुसार नामांतकरण भरने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा शेष स्थगन आदेश मूल दावे के निस्तारण तक पूर्व की भांति यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 16.10.2024 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर